



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 08.07.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोगों को हनीट्रैप मे फसाकर रुपये मांगने वाले गिरोह के महिला अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.07.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोगों को हनीट्रैप मे फसाकर रुपये मांगने वाले गिरोह के अभियुक्त 1. अमित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मोदीपोन थाना मोदीनगर गाजियाबाद व अभियुक्ता 2. शिवानी पत्नी स्व० शिवम निवासी फ्लैट नं० ए-4, 1604, पंचशील कॉलोनी, गौर सिटी-2, थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को थाना बिसरख क्षेत्र के गौर सिटी-2 से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण:

अभियुक्त व अभियुक्ता जीवनसाथी डॉटकॉम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों के साथ दोस्ती कर उन्हें झूठे दुष्कर्म के मुक़दमे मे फसाने के नाम पर भारी रकम वसूलते हैं। इसी क्रम मे थाना बिसरख पर पंजीकृत मु०अ०स० 561/2021 धारा

389/342/120 बी भादवि के वादी के साथ भी अभियुक्ता शिवानी द्वारा अपने साथी अमित के साथ मिलकर जीवनसाथी डॉटकॉम से दोस्ती की गयी थी और अपने फ्लैट पर बुलाकर, बन्धक बनाकर 5 लाख रुपयों की मांग की गयी तथा पैसे ना देने पर झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी दी गई थी।

अभियुक्त का विवरण:

अमित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मोदीपोन, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।

अभियुक्ता का विवरण:

शिवानी पत्नी स्व० शिवम निवासी फ्लैट न० ए-4, 1604, पंचशील कॉलोनी गौर सिटी 2, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु०अ०सं० 561/2021 धारा 389/342/120 बी भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2-थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस और वाहन चोर बदमाशों के बीच हुई पुलिस मुठभेड में 25 हजार रूपये का इनामी वाहन चोर वांछित बदमाश घायल अवस्था में व दूसरा साथी बदमाश कांबिंग के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार मय कारतूस, चोरी की 01 फार्चुनर कार, 02 पर्स व 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 08.07.2021 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस और वाहन चोर बदमाशों के बीच थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के सेक्टर 57-सेक्टर 58 के बीच हुई पुलिस मुठभेड में 25 हजार रूपये का इनामी वाहन चोर वांछित बदमाश मौ० अली जैदी पुत्र बदरूल हसन निवासी ग्राम फदेडी, थाना धनौरा मंडी, जिला अमरोहा वर्तमान पता म०नं० 620 गली नं०-6 ओल्ड मुस्तफाबाद, थाना दयालपुर, दिल्ली को गोली लगने के कारण घायल अवस्था में व उसके साथी बाइक बोट मामले में संजय भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य बदमाश साहिब अहमद पुत्र शमशुद्दीन निवासी ग्राम रतनपुरा, थाना श्यौहरा, जिला बिजनौर वर्तमान पता म०नं० बी 82, गली नं० 4, 20 फुटा रोड, बटला हाउस जामियानगर दिल्ली को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 1 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315

बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, चोरी की 01 फोर्चूनर कार नं0- जेएच 01 डीजी 1741, 02 मोबाइल फोन व 02 पर्स बरामद हुये है।

घटना का विवरण :

दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है ये लोग दिल्ली एनसीआर मे बडी व लज्जरी गाडियो को चोरी करते है तथा चोरी कर मौहम्मद आरिफ हुसैन पुत्र साबिर हुसैन नि0-विशनपुर भीमठेर थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद को सस्ते दामो मे बेचते है जो फोर्चूनर कार बरामद हुयी है वो कुछ दिन पहले चिल्ला माल मयूर बिहार फेस 3 से चुरायी गई थी। जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुयी है। अभियुक्त फोन पर आपस मे डीलिंग करते समय इनोवा को कोड में पन्डुब्बी तथा फोर्चूनर का कोड चूरन प्रयोग करते है तथा मास्टर की को मछली तथा लाख रूपये को कट्टा बोलते थे ताकि उनकी बात को पुलिस या कोई व्यक्ति समझ न सके। अभियुक्त अधिकतर फोर्चूनर, इनोवा, क्रेटा कार चोरी करते थे ।

पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त साहिब, संजय भाटी, विजय कसाना के साथ मिलकर GRAVIT INNOTATIVE PROMOTERS LIMITED के नाम से कम्पनी खोलकर जनता के लोगों से बाइक बोट के 62,100/- रूपये लेकर हर महीने 9,765/- रूपये देने का वादा कर धोखाधडी की गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0-35/20 धारा 406, 420, 504 भादवि पंजीकृत है जिसमें अभियुक्त साहिब नामजद अभियुक्त है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.मौ0 अली जैदी पुत्र बदरूल हसन निवासी ग्राम फदेडी थाना धनौरा मंडी जिला अमरोहा वर्तमान पता म0नं0 620 गली नं0-6 ओल्ड मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली (घायल)।
- 2.साहिब अहमद पुत्र शमशुद्दीन निवासी ग्राम रतनपुरा थाना श्यौहरा जिला बिजनौर व वर्तमान पता म0नं0 बी 82 गली नं0 4, 20 फुटा रोड बटला हाउस जामियानगर दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त मौ0 अली जैदी:

1.मु0अ0सं0-659/20 धारा-379, 411, 414, 420, 467, 468, 471, 482, 120बी, 34 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

2.मु0अ0सं0-560/21 धारा-307 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

3.मु0अ0सं0-561/21 धारा-3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।

4.मु0अ0सं0-562/21 धारा-411, 482 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

अभियुक्त साहिब अहमद:

1.मु0अ0सं0-659/20 धारा-379, 411, 414, 420, 467, 468, 471, 482, 120बी, 34 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

2.मु0अ0सं0-560/21 धारा-307 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

3.मु0अ0सं0-562/21 धारा-411, 482 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।

4.मु0अ0सं0-35/20 धारा-406, 420, 506 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.1 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

2.चोरी की 01 फार्चुनर कार नं0- जेएच 01 डीजी 1741

3.02 मोबाइल फोन व 02 पर्स

3- थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की पीटकर हत्या करने वाला हत्यारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा (आलाकत्ल) बरामद।

दिनांक 08/07/2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा अपनी पत्नी की पीटकर हत्या करने वाला अभियुक्त सुभाष पुत्र शिवराज निवासी बी 80 सेक्टर 8 नोएडा थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर को थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के बी-80 सेक्टर 8, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा (आलाकत्ल) बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

सुभाष पुत्र शिवराज निवासी बी 80, सेक्टर 8 नोएडा, थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 834/21 धारा 302 भादवि थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

घटना में प्रयुक्त डंडा (आलाकत्ला)



4- थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 08/07/2021 को थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 03 अभियुक्त 1. बनवारी उर्फ कल्लू पुत्र रामनरायण निवासी गरोता, थाना होडल, जिला पलवल हरियाणा वर्तमान पता होराम का मकान, सुत्याना, थाना ईकोटेक-3, 2. भोला पुत्र रामनरायण निवासी गरोता, थाना होडल, जिला पलवल हरियाणा वर्तमान पता होराम का मकान, सुत्याना, थाना ईकोटेक-3, 3. विवेक चौहान पुत्र बिशन चौहान निवासी रोता, थाना होडल, जिला पलवल हरियाणा वर्तमान पता होराम का मकान, सुत्याना, थाना ईकोटेक-3 जनपद गौतमबुद्धनगर को थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट (ई-चालान पर प्राप्त रजि0नं0 यूपी 16 बीयू 4352) व 01 मोटरसाइकिल हीरो होन्डा स्पलेन्डर रजि0नं0 यूपी

81 एएल 3698 सम्बन्धित मु0अ0सं0 1123/18 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर बरामद की गई है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. बनवारी उर्फ कल्लू पुत्र रामनरायण निवासी गरोता, थाना होडल, जिला पलवल हरियाणा वर्तमान पता होराम का मकान, सुत्याना, थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।
2. भोला पुत्र रामनरायण निवासी गरोता, थाना होडल, जिला पलवल हरियाणा वर्तमान पता होराम का मकान, सुत्याना, थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।
3. विवेक चौहान पुत्र बिशन चौहान निवासी रोता, थाना होडल, जिला पलवल हरियाणा वर्तमान पता होराम का मकान, सुत्याना, थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 435/2021 धारा 411/414 भादवि थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

चोरी की 02 मोटरसाइकिल

1. 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट (ई-चालान पर प्राप्त रजि0नं0 यूपी 16 बीयू 4352)।
2. 01 मोटरसाइकिल हीरो होन्डा स्पलेन्डर रजि0नं0 यूपी 81 एएल 3698 सम्बन्धित मु0अ0सं0 1123/18 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर।

5- थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, अवैध हथियार मय कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 07.07.2021 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त 1. अंकित कुमार पुत्र श्री सूरज निवासी छिजारसी कॉलोनी, थाना फेस 3 नोएडा, 2. सूरज पुत्र राकेश निवासी ग्राम छिजारसी, थाना फेस 3 नोएडा, 3. हजरत पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी छिजारसी, कॉलोनी थाना फेस 3 नोएडा को थाना फेस 3 क्षेत्र के जे 32 के सामने सेक्टर 63

नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल स्पैलन्डर प्लस रंग काला रजि. नं. यूपी 25 बीएक्स 5279 संबंधित मु0अ0सं0 968/18 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर 39, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. अंकित कुमार पुत्र श्री सूरज निवासी छिजारसी कॉलोनी, थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
2. सूरज पुत्र राकेश निवासी ग्राम छिजारसी, थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. हजरत पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी छिजारसी, कॉलोनी थाना फेस 3 नोएडा। गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु0अ0सं0 667/21 धारा 411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर बनाम अंकित, सूरज व हजरत।
2. मु0अ0सं0 668/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर बनाम सूरज।
3. मु0अ0सं0 669/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर बनाम हजरत।

बरामदगी का विवरण:

1. 01 चोरी की मोटरसाइकिल स्पैलन्डर प्लस रंग काला रजि. नं. यूपी 25 बीएक्स 5279 संबंधित मु0अ0सं0 968/18 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर 39।
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 अवैध चाकू



#थाना दादरी पुलिस की महिला सुरक्षा टीम ने अथक प्रयास कर मानसिक रूप से कमजोर व बीमार वृद्ध महिला को उनके घर पहुंचाया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार डीसीपी महिला सुरक्षा के नेतृत्व में महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक थानों पर टीम का गठन किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 02/07/2021 को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत थाना दादरी महिला सुरक्षा इकाई टीम की उपनिरीक्षक प्रीति चहल, कांस्टेबल पूजा पंवार व कांस्टेबल अर्चना मान को भ्रमण के दौरान दादरी बस स्टैंड के पास एक वृद्ध, बीमार व मानसिक रूप से कमजोर महिला उम्र करीब 80 वर्ष मिली थी। महिला सुरक्षा इकाई टीम द्वारा उक्त वृद्ध महिला को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद महिला सुरक्षा इकाई टीम द्वारा उनके बारे में जानकारी करने की कोशिश की गई तो महिला अपने बारे में कुछ नहीं बता सकी। शेल्टर होम द्वारा भी उक्त महिला को उनकी बीमारी के दृष्टिगत शेल्टर होम के अंदर रखने से मना कर दिया गया था। महिला सुरक्षा इकाई टीम द्वारा बीमार महिला की पूरे 1 सप्ताह तक देखभाल की गई व उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। पुलिस टीम के कड़े प्रयास से महिला का नाम सर्वती निवासी ग्राम सरवा थाना बिसौली जनपद बदायूं होना पता चला। जिसपर पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से उनके घर संपर्क किया। उनके भतीजे द्वारा उनकी पहचान कर ली गई व बताया गया की उक्त महिला के पति व बच्चों की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है जिसके बाद वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। परिजनों द्वारा उनको ढूंढने का काफी प्रयास किया गया पर वो मिल नहीं सकी। थाना दादरी पुलिस पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07/07/2021 को उक्त महिला को उनके घर जनपद बदायूं ले जाया गया। जिसपर उनके परिजनों द्वारा कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार जताया गया।

